

10.01.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वादपत्र प्रार्थी द्वारा विद्धा कर लिया गया है। इसलिए मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.2024 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

hian
सहायक कलक्टर
एवं उपप्रवर्णनीधिकारी
हनुमानगढ़

